

प्रेस नोट

थाना लहचूरा

दि 20.03.2025

बकरी चोरी के अभियोग में वाँछित 25000 रुपये का इनामिया शातिर चोर अवैध तमंचा व 02 कारतूस सहित गिरफ्तार

भिन्न-भिन्न जगहों से चोरी की गयी बकरियों की बिक्री से अर्जित 28000 रुपए नकद बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद झाँसी के कुशल दिशा-निर्देशन व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय जनपद झाँसी के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी महोदय मऊरानीपुर जनपद झाँसी एवं थानाध्यक्ष लहचूरा पंकज कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.03.2025 को थाना लहचूरा पुलिस द्वारा गश्त के दौरान के बकरी चोरी के अभियोग में वाँछित 25000 रुपये के इनामिया अपराधी को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर नाजायज व 02 अदद कारतूस नाजायज 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। तथा अभियुक्त के कब्जे से भिन्न-भिन्न जगहों से चोरी की गयी बकरियों की बिक्री से अर्जित/शेष 28000 रूपयों बरामद हुए।

अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा बरामदगी के संबंध में अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त को मा. न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

आरिफ पुत्र स्व० कल्ला नि०कसाई मण्डी ओरछा गेट वाहर थाना कोतवाली जिला झाँसी उम्र करीब 35 वर्ष ।

अभियुक्त के अपराध करने का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त आरिफ पुत्र स्वः कल्ला उपरोक्त के द्वारा अपनी शौक पूरी करने तथा जल्द अमीर बनने के उद्देश्य से अपने अन्य साथियों की मदद से गाँवों में जाकर रेकी करना तथा मौका पाकर जगह-बदल-बदल कर बकरियों के चोरी करना एवं चोरी की गयी बकरियों को भाडे के वाहन से ले जाकर सुदूर के जनपदों में जाकर सस्ते दामों में बेचना तथा बिक्री से प्राप्त रूपयों को अपने साथियों के साथ बाँटकर घटना को अंजाम दिया जाता था ।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 26/13 धारा 380/411 भा०द०वि० थाना नवाबाद ।
2. मु०अ०सं० 29/2013 धारा 380 भा०द०वि० थाना नवाबाद जिला झाँसी ।
3. मु०अ०सं० 126/2013 धारा 401/411 भा०द०वि० थाना नवाबाद जिला झाँसी ।
4. मु०अ०सं० 535/2013 धारा 379 भा०द०वि० थाना नवाबाद जिला झाँसी ।
5. मु०अ०सं० 306/2021 धारा 380/411 भा०द०वि० थाना नवाबाद जिला झाँसी ।
6. मु०अ०सं० 309/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना नवाबाद जिला झाँसी ।
7. मु०अ०सं० 293/2022 धारा 380/411/457 भा०द०वि० थाना बडागाँव जिला झाँसी ।
8. मु०अ०सं० 409/2019 धारा 18/20 N.D.P.S. ACT थाना नवाबाद जिला झाँसी ।
9. मु०अ०सं० 151/2021 धारा 380/411 भा०द०वि० थाना मोठ जिला झाँसी ।
10. मु०अ०सं० 118/2022 धारा 379/411 भा०द०वि० थाना रक्सा जिला झाँसी ।
11. मु०अ०सं० 09/2023 धारा 380/411/413 भा०द०वि० थाना लहचूरा जिला झाँसी ।

12. मु0अ0सं0 21/2023 धारा 411/413/414 भा0द0वि0 व 11 (घ) पशु क्रूरता अधि0 थाना लहचूरा जिला झाँसी ।

13. मु0अ0सं0 233/16 धारा 379 भा0द0वि0 थाना पूराकला जिला ललितपुर ।
व अन्य

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थानाध्यक्ष पंकज कुमार मिश्र

1. उ0नि0 श्री विजयशंकर शुक्ला थाना लहचूरा जिला झाँसी ।
2. उ0नि0 श्री कुलभूषण सिंह थाना लहचूरा जिला झाँसी ।
3. हे0का0 138 सतपाल सिंह थाना लहचूरा जिला झाँसी ।
4. का0 886 अनुराग शुक्ला थाना लहचूरा जिला झाँसी ।
5. का0 734 कुलदीप सिंह थाना लहचूरा जिला झाँसी ।
6. आरक्षी चालक का0 1117 संजीव कुमार थाना लहचूरा जिला झाँसी ।